न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 09 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 278

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
रूगनाथ पुत्र पाबु वगैरह	सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर वगैरह

स्थगन प्रार्थना—पत्र

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

तारीख रजु :— 19.11.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 27.03.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सरनाउ, पटवार हल्का—सरनाउ में हम प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि के खसरा नंबर 107 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 116 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 121 / 1301 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 122 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 123 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 6.45 हैक्टेयर जुमले रकबा 10.04 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 143 के खसरा नंबर 110 रकबा 5. 20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 119 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 120 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 121 रकबा 3.89 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.12 हैक्टेयर के आये हुए है। उपरोक्त खेतों के दक्षिण—पूर्व से उत्तरी पश्चिम दिशा की माठ पर हमारे खेत में से आने जाने का रास्ता चलता है लेकिन राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 118 व 108 रास्ता गलत दर्ज किया गया है जो मौके पर रास्ता आवागमन के उपयोग में नहीं आ रहा है। मौके कोई रास्ता मौजूद नहीं होकर कोई रास्ते का पानी भराव के कारण अस्तित्व नहीं है चूंकि उक्त खेत के बीचों बीच एक नाडी आई हुई है जिससे ज्यादा बारिश होने से पुरा उक्त खेतों का पानी इकटठा होकर नाडी में संग्रह होता, जिससे इस खसरा नंबर के रास्ते का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है। मौके पर मौजूद रास्ते में अप्रार्थीगण द्वारा एक नाजायज गिरोह के साथ मौके पर आए तथा आवागमन में अवरूद्व पैदा करने की एलानियां धमकियां देकर हमें बेदखल करने की एलानियां धमकियां दी, जिससे ऐसा करने का कोई अप्रार्थीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। मौके पर रास्ता कदीमी से वर्षों से नक्शा अनुसार चल रहा है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार मौके पर कोई मौजूद रास्ता नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो हम प्रार्थीगण तो अपूरणीय क्षति होगी जिसका

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

आंकलन कतई संभव नहीं है। इस प्रकार स्थगन के कानूनी तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना--पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त रास्ता नजरी नक्शा अनुसार मौके पर रेकर्ड की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या रदोबदल मूल आवेदन के निस्तारण तक अप्रार्थीगण न स्वयं करें न ही किसी मजदूर एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें। इस आशय का स्थगन प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर